धारा 5 : अधिकारियों की शक्तियां

(1) कोई संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) कोई संघ राज्यक्षेत्र कर अधिकारी, किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी शक्तियों का उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के कर अधिकारी को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।